



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 188 सन् 2026

वासी अहमद खान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गुलरेज़ खान, परवेज़ हुसैन खान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार बुधवार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री गुलरेज़ खान तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पूर्ण निर्देश प्राप्त हैं और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही रिट याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, अतः वे कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते। पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 28.02.1995 को उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात दिनांक 08.05.2007 को उक्त पद का उन्नयन हुआ और याचिकाकर्ता को उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें इस पद पर स्थायी कर दिया गया। आगे, जिला विकास अधिकारी, बदायूं द्वारा दिनांक 04.11.2025 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कादरचौक से विकास खंड इस्लामनगर कर दिया गया।
4. उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।
5. इस न्यायालय ने दिनांक 13.01.2026 को प्रतिवादियों से प्रत्युत्तर मांगते हुए याचिका स्वीकार की थी।
6. आज जिला विकास अधिकारी, बदायूं के हस्ताक्षर से दिनांक 22.01.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया।
7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित स्थानांतरण आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण 15.05.2025 से 15.06.2025 के बीच ही किए जाने थे। यदि इसके बाद स्थानांतरण किया जाता है, तो संबंधित मंत्री की स्वीकृति आवश्यक है। वर्तमान मामले में स्थानांतरण आदेश दिनांक 04.11.2025 को पारित हुआ है, जो निर्धारित अवधि के बाद है और इसके लिए मंत्री की स्वीकृति आवश्यक थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साथ ही, याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे स्थानांतरण स्थल पर जाँइन करने की स्थिति में नहीं हैं।

8. इसके विपरीत, स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यह स्थानांतरण नहीं बल्कि पदस्थापन है, अतः मंत्री की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात—
10. यह स्पष्ट है कि दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं विधि को नियंत्रित करती है।
11. नीति के खंड 3(i) एवं 3(iii) निम्न प्रकार हैं:
"(i) समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति से किए जाएंगे।
(iii) स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानांतरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।"
12. खंड 5(i) भी इस प्रकार है:
"(i) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे परन्तु इस संबंध में स स्थानान्तरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।"
13. खंड 7 एवं 8 इस प्रकार हैं:
"7. वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2025-2026 में शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 15 मई, 2025 से प्रारम्भ करते हुए दिनांक 15 जून, 2025 तक पूर्ण कर लिये जाये।
8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।"
14. स्थानांतरण नीति पर एक सरसरी दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि सामान्यतः स्थानांतरण निर्धारित कट-ऑफ तिथि के भीतर किया जाना चाहिए तथा यदि स्थानांतरण कट-ऑफ तिथि के बाद किया जाता है, तो इसके लिए मंत्री की स्वीकृति आवश्यक होती है।
15. जब यह विशिष्ट प्रश्न माननीय स्थायी अधिवक्ता से पूछा गया कि क्या मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है, तो उत्तर नकारात्मक था। तथापि, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रथम प्रतिवादी, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
16. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता प्रथम प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत होगा, किन्तु उसके दावे के निस्तारण तक उसे संरक्षण प्रदान किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. पक्षकारों के तर्कों एवं उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता एक विस्तृत अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति सहित, प्रथम प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रथम प्रतिवादी, उक्त अभ्यावेदन की प्राप्ति दिनांक 06.02.2026 तक होने पर, विधि के अनुसार, अभ्यावेदन के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

18. अभ्यावेदन के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

19. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 28, 2026

अशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"